



प्रेस नोट इटावा पुलिस दिनांक- 18.09.2026

#OPERATION CONVICTION

इटावा पुलिस/अभियोजन की प्रभावी पैरवी के चलते आज दिनांक 18.09.2026 को 01 अभियोग में सजा करायी गयी है।

1. थाना-फ्रेडकालोनी

न्याया0एडीजे-7/ एनडीपीएस एक्ट कोर्ट इटावा द्वारा अभियुक्त राजू पुत्र मानिक चन्द्र निवासी मोहल्ला कृष्णा नगर थाना फ्रेण्ड्स कालोनी जनपद इटावा को 01 वर्ष का सश्रम कारावास व 5,000/-रु० के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही कराये जाने तथा मा० न्यायालय से दण्डित कराये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना फ्रेडकालोनी पैरोकार, व मानीटरिंग सैल द्वारा प्रभावी पैरवी के चलते मा० न्याया0एडीजे-7/एनडीपीएस एक्ट कोर्ट इटावा द्वारा अभियुक्त को 01 वर्ष का सश्रम कारावास व 5,000/-रु० के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

संक्षिप्त विवरण:- थाना फ्रेडकालोनी क्षेत्र के अन्तर्गत अभियुक्त के कब्जे से अवैध गांजा बरामद होने के सम्बन्ध में थाना फ्रेण्ड्स कॉलोनी पर दिनांक 16.11.2018 को मु०अ०सं० 855/2018 धारा- 8/20 एनडीपीएस एक्ट में पंजीकृत किया गया।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी उ०नि० श्री सुरेश कुमार के द्वारा साक्ष्य संकलन किया गया, साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्तगणों के विरुद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा इस प्रकरण में सतत निगरानी बनाये रखते हुये दिये गये निर्देशानुसार अभियोग के गवाहों को थाना फ्रेण्ड्स कॉलोनी पुलिस टीम, पैरोकार का० तरुण प्रताप सिंह व मानीटरिंग सैल टीम व एडीजीसी श्री योगेन्द्र सिंह परिहार द्वारा नियत तिथियों पर साक्ष्य प्रस्तुत करते हुये व अन्य साक्ष्यों को मा० न्यायालय इटावा के समक्ष पेश करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 18.09.2026 को अन्तर्गत मु०अ०सं० 855/2018 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में मा० न्याया0एडीजे-7/एनडीपीएस एक्ट कोर्ट इटावा द्वारा अभियुक्त को 01 वर्ष का सश्रम कारावास व 5,000/-रु० के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

सजायाफ्ता अपराधी-

1. राजू पुत्र मानिक चन्द्र निवासी मोहल्ला कृष्णा नगर थाना फ्रेण्ड्स कालोनी जनपद इटावा।